UPGK010021032026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 921/2026,

पंकज सिंह पुत्र बृजकिशोर सिंह,
निवासी- ग्राम पड़ीरी, थाना- भलुअनी,
जनपद- देवरिया, उत्तर प्रदेश। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 20/2026,
धारा- 115 (2),117 (2),191 (2),109 (1),125,351 (3), 352 भारतीय न्याय संहिता,
थाना- सिकरीगंज, जनपद- गोरखपुर।

10.03.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त पंकज सिंह, जो अपराध संख्या- 20/2026, धारा- 115 (2), 117 (2),191 (2),109 (1),125,351 (3),352 भारतीय न्याय संहिता, थाना- सिकरीगंज, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 22.01.2026 को समय सुबह 08:00 बजे प्रथम सूचनाकर्ता रणवीर प्रताप सिंह व उसकी पत्नी मोटर साईकिल से गोरखपुर जाने के लिए निकले थे, की लगभग 200 मीटर आगे टावर के पास पहुँचे ही थे कि पुरानी रंजिश को लेकर गॉव के विजय प्रताप, दिनेश सिंह, मुन्नू सिंह, नरेश व पंकज सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति प्रथम सूचनाकर्ता को घेर कर रोक लिए तथा गाली देते हुए लाठी-डण्डा व ईट पत्थर से मारने लगे, जिससे प्रथम सूचनाकर्ता को बहुत गम्भीर चोट आयी और प्रथम सूचनाकर्ता बेहोश होकर गिर गया। सभी लोग कहे कि इस बार, तो बच गए हो अगली बार तुम्हें जान से मार देंगे।

प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में आहत रणवीर प्रताप सिंह का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या के अनुसार आहत को निम्नलिखित उपहतियॉ पाया गयी, जो निम्नवत हैं-

1. A contusion of size 3cmX2cm, 7cm above left ear with complaint of severe headache and vertigo, NCCT head advise.
2. A reddish bruise of size 17cmX14cm below right scapula, chest X-ray AP/view advise.

3. A reddish bruise of size 13cmX7cm, 20cm below left scapula, chest X-ray AP/view advise.
4. A reddish bruise of size 7cmX5cm below left scapula, chest X-ray AP/view advise.
5. A contusion of size 8cmX3cm, 4cm below left shoulder joint on back of left upper arm X-ray advise.
6. A contusion of size 5cmX3cm, 4cm below right shoulder joint on back of right upper arm, X-ray Advise.
7. Complaint of severe pain and swelling on bilteral hand X-ray advise.
8. Complain of severe back pain with unable to stand, X-ray LS spine advise.
9. A reddish abrasion with contusion of size 4cmX2cm, 13cm below right knee joint on leg, X-ray advise.
10. A reddish contusion of size 6cmX2cm, 5cm below left knee joint on lateral side of left leg, X-ray advise.
11. A reddish contusion of size 9cmX6cm, over left lateral malleolus, X-ray advise.

चिकित्सक की राय के अनुसार सभी उपहतियॉ ताजी तथा कठोर कुन्दालय से आना पायी गयी। आहत के एक्स-रे रिपोर्ट में उसके दाहिने पैर के नीचे के हिस्से की मुख्य अस्थि में अस्थि विसंधान होना पाया गया तथा आहत के सी०टी० स्कैन रिपोर्ट में सिर में आयी उपहति के कारण जमा हुआ रक्त मौजूद था तथा सिर के बाये टेम्पोरल क्षेत्र में अस्थि विसंधान था।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के रिश्तेदार विजय प्रताप सिंह व प्रथम सूचनाकर्ता के मध्य पुरानी रंजिश चली आ रही है और आवेदक/अभियुक्त को रिश्तेदार होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। कथित घटना स्थल से आवेदक/अभियुक्त के घर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। कथित घटना के समय आवेदक/अभियुकत अपने पिता के दवा ईलाज में व्यस्त था। ऐसा सुनने में आया कि प्रथम सूचनाकर्ता व उसकी पत्नी अपनी मोटर साईकिल से कही जा रहे थे तथा रास्ते में गिरकर घायल हो गये थे। आवेदक/अभियुक्त कथित घटना के समय अपने गॉव में स्थित उमेश किराना स्टोर्स से सामान भी खरीदा था तथा आनलाईन पेमेण्ट भी किया था। कथित घटना कारित करने का कोई हेतुक नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा एक राय होकर प्रथम सूचनाकर्ता को लाठी-डण्डा व ईट पत्थर से मारकर प्राणघातक व गम्भीर उपहति कारित की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त कमलेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह का

जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आहत को सिर पर गम्भीर उपहति आयी है तथा उसके शरीर पर कुल 11 उपहतियॉ पायी गयी है। अभियुक्त का भी चिकित्सकीय परीक्षण विवेचक द्वारा कराया गया, जिसमे उसके शरीर पर कोई उपहति नहीं पायी गयी।

अतएव मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त पंकज सिंह की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
10 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:35:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court